



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)  
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority  
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India  
एन ए एस सी कॉम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012  
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012  
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- [la-ppvfra@nic.in](mailto:la-ppvfra@nic.in)

दिनांक: 17.08.2022

**सार्वजनिक सूचना**  
(2022 का 08)

**विषय:** सभी फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में संकर किस्मों के आवेदनों से संबंधित बीज सामग्री के माध्यम से प्रवर्धित के लिए सामान्य विवरण।

पीपीवीएफआर प्राधिकरण ने 29.06.2022 को आयोजित अपनी 33वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की संकर किस्मों के आवेदनों से संबंधित बीज सामग्री के माध्यम से प्रवर्धित सभी फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों में एक सामान्य विवरण जोड़ा जाएगा। उक्त कथन यहाँ प्रस्तुत है:-

"जहां संकर किस्म का डीयूएस परीक्षण शामिल है , वहां संकर के उत्पादन में शामिल संकर और पैतृक इनब्रेड्स के अलग-अलग परीक्षण का पालन अलग-अलग स्थानों पर किया जाएगा , जिसमें पैतृक की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी , केवल प्राधिकरण से संबंधित किसी भी केंद्र को शामिल किए बिना , जहां परीक्षण किया जाता है, प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है।"

-हस्ताक्षरित-  
(डी.के. अग्रवाल)  
महापंजीकार